246

353

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R. S 307- दो/16

उर्मिला देवी पुत्री रंगदेव जोगी पत्नी मोतीलाल जोगी निवासी ग्राम– जोगीपुर उत्तर टोला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ———— निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कुमुदिनी सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम– अमहा, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. श्यामकली पुत्री चन्द्रवती पत्नी शिवमूरत जोगी निवासी ग्राम– गोतरा, तहसील– कुसमी, जिला– सीधी (म.प्र.) ——— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील– गोपदबनास, गिर्द– प्रथम के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 7/अ–6 /2015–16 में पारित आदेश दिनांक– 10.05.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

{अ} यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक– 1 श्रीमती कुमुदिनी सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा– 109/110 के तहत न्यायालय तहसीलदार, तहसील– गोपदबनास, गिर्द–प्रथम, जिला– सीधी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी ग्राम– जोगीपुर उत्तर, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी के आराजी खसरा क्रमांक– 205, 227, 229, 240, 243, 244, 254, 255, 262, 263, 281, 209, 210, 211, 212, 214, 219, 220, 222, 226 कुल किता– 20 योग रकवा 15.650 है0 में हिस्सा 1/3 रकवा 5.220 है0 में हिस्सा

246

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5307–दो / 2016 जिला–सीधी

उर्मिला देवी जोगी / श्रीमती कुमुदिनी सिंह व अन्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास गिर्द 1 के प्रकरण क्रमांक 7 / अ–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	